संख्या- 312 /2025/ 2810 /चार-2025-1973890

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2025**

विषय:- दिनांक 07 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित हो रहे 27वें सात दिवसीय भरतकुण्ड महोत्सव के भव्य आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1709/सं0नि0-15(56)/2025-26-525556, दिनांक 09 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री संजीव सिंह, जिलाध्यक्ष, भाजपा के पत्र संख्या- AY888/2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 एवं श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, भरतकुण्ड महोत्सव न्यास, भरतकुण्ड, अयोध्या के पत्रांक 382 दिनांक 25 जुलाई, 2025 के क्रम में अवगत कराया गया है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 07 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2025 तक 27वें सात दिवसीय भरतकुण्ड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि धर्म व संस्कृति पर आधारित होगा तथा 27वें सात दिवसीय भरतकुण्ड महोत्सव में संस्कृति विभाग, उ0प्र0 से श्री अनूप जलोटा की भजन संध्या, कुमार विशु का गायन, श्री मनोहर सिंह, अलका सिंह पहाड़िया का लोक गायन, चौलर नृत्य, सुश्री संगीता आहूजा नृत्य नाटिका सहित प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आयोजन में संस्कृति विभाग द्वारा कार्यक्रम में कलाकारों को निम्नानुसार प्रायोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कलाकार का नाम	विधा	मानदेय	किराया	कुल मानदेय
1	07.10.2025	श्री अम्बरीश पाण्डेय, अयोध्या मो0 8264437197	भजन संध्या	30,000.00	-	30,000.00
2	08.10.2025	सुश्री राधा प्रजापति, झांसी	राई लोकनृत्य	40,000.00	36,300.00	76,300.00
3	09.10.2025	सुश्री प्रीति सिंह, प्रयागराज	ढेढिया नृत्य	40,000.00	13,200.00	53,200.00
4	11.10.2025	श्री मनोहर एवं सुश्री अलका, गाजीपुर	लोकगायन	1,25,000.00	19,800.00	1,44,800.00
5	12.10.2025	सुश्री आराध्या गौतम, अयोध्या	बधावा नृत्य	40,000.00	-	40,000.00
6	13.10.2025	कुमार विशु, मुम्बई	भजन गायन	2,75,000.00	20,000.00	2,95,000.00
योग (रूपये छ: लाख उन्तालीस हजार तीन सौ मात्र)						**6,39,300.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 07 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित हो रहे 27वें सात दिवसीय भरतकुण्ड महोत्सव के भव्य आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने हेतु **रू0 6,39,300.00 (रूपये छः लाख उन्तालीस हजार तीन सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in